


अजमेर

26/12/24

पत्रावली पेरा डई। उमपका अति० उपा० प्रार्थी की प्रार्थना  
पत्र अ-तर्गत धारा 13। संपादित धारा 156 राज० सू-समाप्त  
अभि नियम 1956 को न-माहित में स्वीकार किया जाता है।  
विकृत निर्णय पृष्ठ 5 से लिखाया व सुधार जाकर वा-कि  
किया गया। पत्रावली फेसल सुधार होकर नंबर से इन हो।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर